

मैंने बिहार आपूर्ति एवं खरीद क्रय-विक्रय विनियमन अधिनियम 1981 के उपबंधों को पढ़ा तथा यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि मुझे निर्गत की जाने वाली अनुज्ञप्ति ऊख अधिनियम/नियमावली और इसके अधीन बने नियमों के अधीन बने नियमों के अधीन होगी तथा अनुज्ञप्ति शर्तों को कोई भंग इस अधिनियम और नियम का भंग माना जायगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास में दी गयी जानकारी सही और पूर्ण है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञप्ति फीस/नवीकरण फीसरुपये (.....)
तथा प्रतिभूति धनरुपये (.....) सम्यक रूप से जमा कर दिया हूँ।

वास्ते.....